परिशिष्ट - [18/3/2025] "अ" (1)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2114 का परिशिष्ट "अ"			
क्रमांक	जिला	आयोजित बैठक का विवरण	रिमार्क
1	बड़वानी	जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16-12-2024 को कुल 155 सामुदायिक दावों पर मान्य की अनुशंसा की गई, तथा प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली टी.एल. बैठक में सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के संबंध में बैठके आयोजित की गई है ।	

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग जिला बड़वानी

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(2)

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला बड़वानी म0प्र0

क्रमांक / 7243 / जनजातीय / वन.अधि. / 2024 बड़वानी, दिनांक 11.11.2024

प्रति,

1– अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) बड़वानी / राजपुर / सेंधवा / पानसेमल

2– अनुविभागीय अधिकारी,
(वन) बड़वानी / राजपुर / सेंधवा / पानसेमल

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत बड़वानी / पाटी / ठीकरी / राजपुर / सेंधवा / निवाली / पानसेमल

विषय :– वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(i) में उल्लेखित सामुदायिक वनों के संसाधन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपने बाबत्।

संदर्भ :– 1–मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक / 895 / 2337936 / 2024 / 25–3 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2024

–000–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(i) में निम्नानुसार सामुदायिक अधिकार ग्राम सभाओं को दिये जाने के प्रावधान है :–

" ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंधन करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिये परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे है" (Right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they heve been traditional or customary law of the concerned tribes of any state) ।

2– मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2022 में प्रकाशित मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के अध्याय–9 नियम–27 में भी सामुदायिक वनो के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्रामसभाओं को दिये जाने है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1)(i) के प्रावधान अनुसार सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों के दावें तैयार कर यह अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना है। दावा फार्म पत्र के संलग्न है।

3– भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत FRA Action Plan, FRA potential area map एवं FRA Atlas तैयार किया गया है। FRA Atlas के अनुसार प्रदेश के कुल 25461 ग्राम FRA potential ग्राम है, जिनमें से 5018 ऐसे राजस्व ग्राम है, जिनकी सीमाओं के भीतर छोटे–बडे झाड़ के जंगल है। 13709 ऐसे ग्राम है, जिनकी सीमा से जंगल लगे है, तथा इन ग्रामों के भीतर भी छोटे–बड़े झाड़ के जंगल है। 5716 ऐसे ग्राम है, जिनकी सीमा से लगे जंगल है, जिनकी सूचियां पत्र के साथ संलग्न है। इन सभी ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकार के दावें होने की संभावना है। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों को मान्यता दिये जाने की कार्यवाही के लिये जिले के पेसा मोबालाईजर एवं जन अभियान परिषद् आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है।

4– अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम –3 (1)(i) में दिये गये सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंधन करने के अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिये परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे है, ग्रामसभाओं को सौंपने हेतु सामुदायिक वन अधिकार दावा दिये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस कार्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
जिला बड़वानी म.प्र.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

③

बड़वानी, दिनांक 11.11.2024

पृ0क्रमांक / 7243 / जनजातीय / वन.अधि. / 2024

प्रतिलिपि :—

1— अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल।

2— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।

3— संचालक, जनजातीय क्षैत्रीय विकास योजनाऐं म.प्र. भोपाल ।

4— कलेक्टर, जिला बड़वानी ।

5— वन मंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल सेंधवा / बड़वानी ।

6— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी ।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
जिला बड़वानी म.प्र.

क्रमांक 01 से 03 तक

सहायक आयुक्त
जनजातीय [illegible] योजनायें
सतपुड़ा [illegible] भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग